<u>कार्यवाही विवरण</u>

(1) मेसर्स कृष्णा मिनरल्स, (पार्टनर–श्री आनंद डालमिया एवं श्री कृष्णा अग्रवाल, किरारी लाईम स्टोन), खसरा क्रमांक–793/15, 793/18, 792/1, 791, 792/2, 792/3, एवं 792/4, रकबा–1.62 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–43,420.94 टन प्रतिवर्ष, (2) मेसर्स मॉ नारायणी क्रशर उद्योग, (पार्टनर–श्री संकेत मित्तल एवं श्री विनोद केडिया, किरारी लाईम स्टोन माईन), खसरा क्रमांक–837/20, 948/4क, 837/1च, 948/7, 837/1ह एवं 948/26, रकबा–3.33 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,48,656 टन प्रतिवर्ष (3) मेसर्स श्री पारसनाथ मिनरल्स, (पार्टनर–श्री रूपेश कुमार जैन, किरारी लाईम स्टोन माईन) खसरा क्रमांक–793/1, 793/4, 793/9 एवं 793/16, रकबा–2.87 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,48,093.13 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) (4) मेसर्स श्रीमती नीलकमल सिंह (तरौद लाईम स्टोन माईन), खसरा क्रमांक–885/1, 885/2 एवं 886/1घ, रकबा–1.311 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–30,542.5 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 28/06/2023 को समय 11:00 बजे, स्थान–योगेश स्मृति सामुदायिक भवन नगर पालिका अकलतरा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित संयुक्त लोकसुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार **(1) मेसर्स कृष्णा मिनरल्स, (पार्टनर–श्री आनंद डालमिया एवं श्री कृष्णा अग्रवाल, किरारी लाईम स्टोन), खसरा क्रमांक–793/15, 793/18, 792/1, 791, 792/2, 792/3, एवं 792/4, रकबा–1.62 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–43,420.94 टन प्रतिवर्ष, (2) मेसर्स मॉ नारायणी क्रशर उद्योग, (पार्टनर–श्री संकेत मित्तल एवं श्री विनोद केडिया, किरारी लाईम स्टोन माईन), खसरा क्रमांक–837/20, 948/4क, 837/1च, 948/7, 837/1ह एवं 948/26, रकबा–3.33 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,48,656 टन प्रतिवर्ष (3) मेसर्स श्री पारसनाथ मिनरल्स, (पार्टनर–श्री रूपेश कुमार जैन, किरारी लाईम स्टोन माईन) खसरा क्रमांक–793/1, 793/4, 793/9 एवं 793/16, रकबा–2.87 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–1,48,093.13 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–किरारी, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) (4) मेसर्स श्रीमती नीलकमल सिंह (तरौद लाईम स्टोन माईन), खसरा क्रमांक–885/1, 885/2 एवं 886/1घ, रकबा–1.311 हेक्टेयर, उत्खनन क्षमता–30,542.5 टन प्रतिवर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में संयुक्त लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में स्थानीय समाचार पत्र हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 26.05.2023 तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द पायोनियर, नई दिल्ली के मुख्य संस्करण में दिनांक 26.05.2023 को लोक सुनवाई संबंधी**

सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 28/06/2023 को समय 11:00 बजे, स्थान–योगेश स्मृति सामुदायिक भवन नगर पालिका अकलतरा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट, कार्यपालक सार की प्रति (हिन्दी व अंग्रेजी) एवं इसकी सी.डी. (साफ्ट कापी) जन सामान्य के अवलोकन/पठन हेतु **कार्यालय कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत, जांजगीर, जिला–जांजगीर–चांपा, अनुविभागीय अधिकारी (रा0), कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा, कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, महाप्रबंधक, कार्यालय जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा, क्षेत्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, व्यापार विहार पं. दीनदयाल उपाध्याय पार्क के पास, बिलासपुर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यालय नगर पालिका परिषद, अकलतरा/ जांजगीर–नैला, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.) सरपंच/सचिव, कार्यालय ग्राम पंचायत–किरारी, लगरा, पकरिया, तरौद, नरियरा, बनाहिल, पौना, तिलई, नवागवन, झिलमिला, धाराशिव, अरसमेटा, अर्जुनी, मुरलीडीह, रसेदा, दर्री, लटिया, अमोरा, मुड़पार, कापन, उपकाचुआ (देवरी), तहसील–अकलतरा जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.),** डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, वायु विंग, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली, मुख्य वन संरक्षक, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) एवं मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर – 19, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) में रखी गई है। परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां सूचना प्रकाशन जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। इस दौरान लोक सुनवाई के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां/आपत्तियों के संबंध में इस कार्यालय को कोई भी आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं।

संयुक्त लोक सुनवाई हेतु निर्धारित **तिथि 28/06/2023 को समय 11:00 बजे, स्थान–योगेश स्मृति सामुदायिक भवन नगर पालिका अकलतरा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (छ.ग.)** में आयोजित की गई। लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम श्री एस.पी.वैद्य अपर कलेक्टर, कार्याल कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा संयुक्त लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ करने की अनुमति

के साथ श्री देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से उद्योग प्रतिनिधि श्री जगमोहन कुमार चंद्रा, पी.एण्ड एम. साल्युशन, नोएडा के द्वारा (1) मेसर्स कृष्णा मिनरल्स, (पार्टनर–श्री आनंद डालमिया एवं श्री कृष्णा अग्रवाल, किरारी लाईम स्टोन), (2) मेसर्स मॉ नारायणी क्रशर उद्योग, (पार्टनर–श्री संकेत मित्तल एवं श्री विनोद केडिया, किरारी लाईम स्टोन माईन), (3) मेसर्स श्री पारसनाथ मिनरल्स, (पार्टनर–श्री रूपेश कुमार जैन, किरारी लाईम स्टोन माईन) (4) मेसर्स श्रीमती नीलकमल सिंह (तरौद लाईम स्टोन माईन), परियोजना के संबंध में संक्षिप्त जानकारी जनसामान्य को अवगत कराया गया।

अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को जनसुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां दर्ज कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री राजेन्द्र कुमार साहू, ग्राम–किरारी** :– वर्तमान मैं किरारी ग्राम पंचायत का उपसरपंच हूॅ मेसर्स कृष्णा मिनरल्स, मॉ नारायणी मिनरल्स क्रेशर उद्योग, मेसर्स पारसनाथ उद्योग, जो कि निम्न श्रेणी चूना पत्थर खदान खोलना चाहते है जिसमें मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। हमारे गांव के पर्यावरण, वातावरण में हानि नहीं होगी। बल्कि आसपास के गांव के आदमी को काम मिलेगा। जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ग्राम पंचायत में आय का स्त्रोत होगा। इससे आसपास के पंचायतो की विकास की धारा बढेगी। उक्त खदान खुलने में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

2. **श्री अशोक कश्यप, ग्राम–किरारी** :–हमारे ग्राम में जो खदान खुल रहे है, उनका मैं समर्थन करता हूॅ। खदान खुलने से गांव में रोजगार मिलेगा और राजस्व की आय होगी, जिससे हमारे गांव का विकास होगा।

3. **श्री अमित कुमार साहू, ग्राम–किरारी** :–क्रेशर से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं समर्थन करता हूॅ।

4. **श्री प्रकाश गोस्वामी, ग्राम–किरारी** :–क्रेशर, खदान खुलने से कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि हम लोगों को रोजगार का मौका मिला है। मैं क्रेशर खोलने का समर्थन करता हूॅ।

5. **श्री धनेश कुमार गोड, ग्राम–किरारी, वार्ड क्रं.–18, पंच** :– हमारे ग्राम किरारी में क्रेशर खदान खुलने से उससे प्राप्त गौण खनिज की राशि से हमारे गांव के मूलभूत सुविधा जैसे–शिक्षा, बिजली, पानी, सीसी रोड़ और किसानों की फसल सुरक्षा कांटा तार बंदी, खेत खलिहानों के रास्ते में जो नाला पडता है। उससे गौण खनिज की राशि से पुल का निर्माण, स्कूल में शौचालय का निर्माण, हाई स्कूल में प्रयोगशाला का निर्माण, स्कूल परिसर मे शेड निर्माण एवं मंच निर्माण, गोठान क्षेत्र परिसर में पानी, टंकी एवं शेड का निर्माण, आहाता निर्माण, गांव में स्वास्थ्य भवन का निर्माण तथा हर मोहल्लों में सामुदायिक भवन का निर्माण व तालाबो में पचरी निर्माण एवं मंच निर्माण जैसे मूलभूत सुविधा हमें प्राप्त होती है। इस हेतु मैं मेसर्स कृष्णा मिनरल, मेसर्स मॉ नारायणी मिनरल्स, मेसर्स पारसनाथ मिनरल्स खदान खुलने का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूॅ।

6. **श्रीमती फुलेश्वरी बाई चौहान, ग्राम–किरारी** :– गांव में खदान खुलत हे, कोई आपत्ति नहीं है, तीनों खदान खुलय, अच्छा सा खुल सहमति है।

7. **श्री संजय कुमार साहू, ग्राम–किरारी** :–क्रेशर, खदान खुलने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इससे मुझे रोजगार मिला है।

8. **श्री रमेश दास मानिकपुरी** :–खदान खुलने का मैं समर्थन करता हॅू।

9. **श्री महेन्द्र कुमार कश्यप, ग्राम–चोरभट्‌ठी** :–खदान खुलने का मैं समर्थन करता हॅू।

10. **श्री श्याम लाल गोड, ग्राम–किरारी** :–पत्थर खदान खुलने से कोई आपत्ति नहीं जिससे हमें रोजगार मिलता है।

11. **श्री सोनूबाज, ग्राम–किरारी** :– खदान खुलने का समर्थन करता हॅू।

12. **श्री राजू सिंह चंदेल, ग्राम–तरौद** :– नीलकमल सिंह का जो खदान खुल रहा है, उसका मैं समर्थन करता हॅू।

13. **श्री जयेन्द्र सिंह चंदेल, ग्राम–तरौद** :–तरौद में जो खदान खुल रहा है उसका मैं समर्थन करता हॅू।

14. **श्री लालाराम कश्यप, ग्राम–किरारी** :– खदान खुलने का मैं समर्थन करता हॅू।

15. **श्री करूणा सागर कश्यप, ग्राम–किरारी** :– ग्राम–किरारी में क्रेशर खदान खुलने का मैं समर्थन करता हॅू, जिससे रोजगार हम लोगों को मिला है।

16. **श्री बेदू, सिदार ग्राम–किरारी** :–किरारी में जो खदान खुलत हे, कोई आपत्ति नहीं है।

17. **श्री विजय भूषण वैष्णव, जनपद सदस्य, ग्राम–किरारी, तरौद** :–खदान, क्रेशर खुलने का मैं समर्थन है, क्योंकि खदान क्रेशर खुलने से हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा। समर्थन है।

18. **श्री संतोष, ग्राम–किरारी** :–खदान खुलत हे, कोई आपत्ति नहीं हे।

19. **श्री हेतराम, ग्राम–किरारी** :– गावं में क्रेशर खुलने का हमको आपत्ति नहीं है और हमारे बाल बच्चे जितने भी आदरणीय है, सभी को काम धाम मिलेगा, और बढिया हमारा रोजगार चलेगा।

20. **श्री बांके बिहारी वैष्णव, ग्राम–तरौद** :–नीलकमल का जो खदान खुल रहा है उससे मैं सहमत हूॅ। हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमें रोजगार मिलेगा। इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है।

21. **श्री विनोद कुमार पाटले, ग्राम–तरौद** :–तरौद में खदान खुलने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

22. **श्री कोमल चंद बघेल, ग्राम–तरौद** :–तरौद में खदान खुल रही है उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है।

23. **श्री मनोज कुमार कश्यप, ग्राम–किरारी** :– खदान खुलने में सहयोग प्रदान देता हूॅ।

24. **श्री गिरधर प्रसाद साहू, सरपंच, ग्राम–तरौद** :–नीलकमल खदान खुलने से हमें कोई आपत्ति नहीं है।

25. **श्री जितेन्द्र प्रसाद कश्यप, ग्राम–किरारी** :–खदान खुलने का समर्थन करता हूॅ।

26. **श्री राघवेन्द्र कुमार कश्यप, ग्राम–पौना** :–क्रेशर खुलने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

27. **श्री परमानंद साहू, ग्राम–किरारी** :– :–खदान खुले मा कोई आपत्ति नहीं है।

28. **श्री प्रेम कुमार मरकाम, ग्राम–किरारी** :–खदान खुलने का मैं समर्थन करता हूॅ।

29. **श्री ओम प्रकाश साहू, ग्राम–किरारी वार्ड नंबर–11 पंच** :–तीनों खदान खुल रहा है कोई प्रकार की आपत्ति नहीं है।

30. **श्री विनोद कुमार नायक, ग्राम–तरौद** :–क्रेशर खुलने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं समर्थन हूॅ।

31. **श्री भरत, ग्राम–किरारी** :–खदान खुलने में मोर समर्थन है।

32. **श्री जीवन, ग्राम–किरारी** :– खदान खुलने में समर्थन है।

33. **श्री पुष्प कुमार चौहान, ग्राम–किरारी** :–खदान खुलने का, मैं समर्थन करता हॅू।

34. **श्री सोन कुमार चौहान, ग्राम–किरारी** :–खदान खुलने में समर्थन करता हॅू।

35. **श्री चंदन सिंह चौहान, ग्राम–किरारी** :–मैं खदान खुलने में समर्थन करता हॅू।

36. **श्री अतुल सिंह चंदेल, ग्राम–तरौद** :–मैं खदान खुलने का समर्थन करता हॅू।

37. **श्रीमती मालती चौहान, ग्राम–किरारी** :– खदान खुल रहा है किरारी गांव में वहां विकास होती है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं समर्थन करती हॅू।

38. **श्री राकेश कुमार यादव, ग्राम–तरौद** :–समर्थन है।

39. **श्री उमेश कुमार साहू,** :–मुझे खदान से कोई आपत्ति नहीं है।

40. **श्री सुमित प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता** :– जिस क्षेत्र में अभी जो ये क्रेशर लग रहे है, हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में आता है। मेरी पत्नी वहां की जिला पंचायत की सदस्य है। पर्यावरण, इन को देने में हमें आपत्ति नहीं है। धूल उडता है, डस्ट उडता है। अभी वहां पर जाये, तो रोड में गड्डा हो गया है, जो इनकी गाड़ियां चलती है। कम से कम उस गडडे को भर दे, पूरा तो क्रेशर माइंस का एरिया है उसमें तो कोई विरोध करने वाला प्रश्न नहीं है। ये फार्मेल्टी के लिए है ये जन सुनवाई। थोडा सा रोजगार दे, लोकल लोगों को रोजगार दे। आसपास के ग्रामीण है प्रभावित है। रायल्टी तो आता ही है, जो इन का रहता है। गौण खनिज से। डेव्हलप भी हो रहा है तरौद, किरारी ये सब में देखेंगे तो पैसा वापस चल देता है। इतना डेव्हलप है उस चीज का तो फायदा हो रहा है। पर्यावरण का सुरक्षा को देखे। वहां पर पेड लगाये इन लोग। पेड वेड सिर्फ कागज में लगा हुआ है। गोबर खरीदता है। केवल कागज में खरीद रहे। पर्यावरण का ध्यान रखें। पूरा माइंस एरिया है। बीचो–बीच है वहां कुछ और हो नहीं सकता है। इसका हम समर्थन करते है, इस जन सुनवाई का समर्थन करते है माइंस लगना चाहिए। लोगों का डेव्हलपमेंट हो और गांव का भी विकास हो रहा है। हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

41. **श्री विकास केडिया, ग्राम–अकलतरा** :– जन सुनवाई की जानकारी होने पर मैं उपस्थित हुआ हॅू। माइंस खुलती है तो निश्चित रूप से शासन को रायल्टी मिलती है। लोगों को रोजगार मिलता है। पानी का जल स्तर मैन्टेन्ट होता है। इस जन सुनवाई का मैं समर्थन करता हॅू। मुख्य विकास की ओर अग्रसर रहेगी।

42. **श्री गुरूदयाल पाटले, ग्राम–तरौद** :–हमारे गांव में नीलकमल खदान आना है उसके लिए मैं सहमत हॅू।

उपरोक्त वक्तव्यों के बाद अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जन समुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया। किंतु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब लगभग 12:30 बजे अपर कलेक्टर, जिला–जांजगीर–चांपा द्वारा लोकसुनवाई सम्पन्न होने की घोषणा की गई।

लोकसुनवाई स्थल पर लिखित में 23 आवेदन पत्र सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 42 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में लगभग 60 व्यक्ति उपस्थित थे। उपस्थिति पत्रक पर कुल 38 व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। आयोजित लोक सुनवाई की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल,
बिलासपुर (छ.ग.)

अपर कलेक्टर,
कार्यालय कलेक्टर,
जिला–जांजगीर–चांपा